



अन्तर्गत धारा: वाद पत्र रथाई निषेधाज्ञा

प्र० सं० 15/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11.06.2025	अधिवक्ता वादी श्री अभय शंकर शर्मा उपस्थित। वाद पत्र पेश किया। प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर एडी. से तलबाना सम्मन पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.07.2025 को पेश हो	
21/7/25	आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आ०ता० पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 25/8/25 को पेश हो।	
25/8/25	आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आ०ता० पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 31/10/25 को पेश हो	
31/10/2025	पत्रावली पेश हुई। वादी व अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। पत्रावली में पेश श्रुदा तलबी सम्मन RD पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 31/11/2025 को पेश हो	
31/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। पत्रावली में नोटिस जारी करने हेतु रजि एडी पेश करने हेतु न्याय हित में अवरुद्ध किया जाता है। पत्रावली में पेश श्रुदा तलबी नोटिस रजि० एडी पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/11/2025 को पेश हो	
21/11/25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। वादीगण मय अधिवक्ता गत 2 पेशी से अनुपस्थित हैं। वादीगण व वादी अधिवक्ता को बार-बार कक-कककर आवाज दिववाई गई, पबन्तु	

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर च त
अहकाम
इस हुकम
तामील में
हए

दावा

लक्ष्मीनारायण ५/५ जयसिंह

न्यायालय समय तक कोई भी न्यायालय
में उपास्थित नहीं हुआ। अतः वादी का
दावा आदेश ७ नियम ४ के अन्तर्गत
अदम हाजरी व अदम पैरवी के अन्तर्गत
खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल
सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा
दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
सैथल